मणिपुर हिंसा: इंटनेट पर प्रतिबंध के मायने

Pramod Ranjan

▶ **To cite this version:**

Pramod Ranjan. मणिपुर हिंसा: इंटनेट पर प्रतिबंध के मायने. जन मीडिया, 2023, 12 (138), pp.15-19. ⟨hal-04189609v2⟩

HAL Id: hal-04189609

https://hal.science/hal-04189609v2

Submitted on 11 Dec 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0 International License

संचार, माध्यम और पत्रकारिता की पूर्व-समीक्षित मासिक पत्रिका

ISSN 2277-2847

जन मीडिया

वर्ष-12, अंक-138

सितम्बर 2023

हमारा समाज, हमारा शोध

₹30

- अमेरिका में कोविड-19 को लेकर बनायी जाने वाली नीति पर सेंसरशिप का असर
- वैश्विक प्रसार की महत्वाकांक्षा के साथ स्थानीय भाषा में बन रही फिल्में
- मणिपुर हिंसा : इंटरनेट पर प्रतिबंध के मायने
- मणिपुर का झूठ
- प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 का राजनीतिक दृष्टिकोण

संचार, माध्यम और पत्रकारिता की पूर्व-समीक्षित मासिक पत्रिका

ISSN 2277-2847

जन मीडिया

138

संपादक
अनिल चमड़िया

सहायक संपादक
संजय कुमार बलौदिया

संपादक मंडल (शोध पत्र)
जवरीमल्ल पारख, जसपाल सिंह सिधु, नारायण बारेठ, रजनीश, राशिद अली, मिथिलेश प्रियदर्शी

वेबसाइट प्रभारी
रविशंकर प्रसाद

कला (आवरण)
गोपाल नायडू

प्रसार
मुकुल रंजन झा
(7982380923)
subscribe.journal@gmail.com

संपर्क
सी-2, पीपलवाला मोहल्ला, बादली एक्सटेंशन, दिल्ली-42
मो. : 9654325899
e-mail :
janmedia.editor@gmail.com
follow us :
facebook.com/JanMedia Journal/
Website
www.mediastudiesgroup.org.in

अध्ययन

2. अमेरिका में कोविड-19 को लेकर बनायी जाने वाली नीति पर सेंसरशिप का असर

विक्टर वॉलिस

12. वैश्विक प्रसार की महत्वाकांक्षा के साथ स्थानीय भाषा में बन रही फिल्में

सत्येन्द्र प्रसाद

विश्लेषण

15. मणिपुर हिंसा : इंटरनेट पर प्रतिबंध के मायने

प्रमोद रंजन

20. मणिपुर का झूठ

लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच

22. प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 का राजनीतिक दृष्टिकोण

अनिल चमड़िया

शोध-संदर्भ

24. प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 के महत्वपूर्ण अंश

इस अंक की सामग्री से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। समस्त विवाद दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में विचाराधीन होंगे। सभी पद अवैतनिक हैं।

मणिपुर हिंसा : इंटरनेट पर प्रतिबंध के मायने

प्रमोद रंजन*

भारत के गृहमंत्री ने 9 अगस्त 2023 को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में अपने भाषण में संकेत दिया कि मणिपुर में जारी संघर्षों की भयावहता को उजागर करने में इंटरनेट और मोबाइल फोन की भूमिका रही है। उनका आशय उन खबरों और वीडियो से था, जो मणिपुर में इंटरनेट ठप कर दिए जाने के बावजूद देश-दुनिया तक पहुंचे।

लेकिन, मूल सवाल यह है कि क्या अगर इंटरनेट नहीं होता तो संघर्ष नहीं होता? गृह-युद्ध नहीं छिड़ता? या, इंटरनेट नहीं होता तो संघर्ष इतना भयावह नहीं होता? क्या इंटरनेट ठप करके इस प्रकार की हिंसा को रोका जा सका?

इतना तो स्पष्ट है कि हिंसा फैलने का एक बड़ा कारण वहां फैली या फैलाई गई अफवाहें रहीं, जिसने दोनों समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ उकसाया। लेकिन इस तथ्य पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि ये अफवाहें इंटरनेट ठप किए जाने के बाद भी फैलीं।

जरा घटनाओं को क्रम में याद करें। 3 मई, 2023 को मणिपुर के कुकी बहुल जिले चुराचांदपुर में कुकी लोगों ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की संभावना के विरोध में रैली का आयोजन किया था। रैली हिंसक हो गई और कुछ जगहों पर पुलिस से उनका टकराव हुआ तथा कुछ जगहों पर आगजनी हुई। मामला राजनीतिक हस्तेक्षप और किंचित बल-प्रयोग से संभल सकता था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उसी दिन राज्य भर में इंटरनेट ठप कर दिया गया।

इंटरनेट ठप करने के लिए सरकार का वही पुराना तर्क था कि देशद्रोही और असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैला सकते हैं, जिससे कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है।

इंटरनेट पर प्रतिबंध लगने से यह हुआ कि मणिपुर में घटित होने वाली घटनाओं की सूचनाएं बाहर आनी बंद हो गईं। साथ ही मणिपुर के भीतर भी आशंकाओं और तरह-तरह की बतकहियों का बाजार गर्म हो गया। जैसा कि मणिपुर से संसद-सदस्य रहीं किम गांगते कहती हैं- ''तीन मई को पहले सुनने में आया कि रैली के दौरान कुकी युवाओं ने एक मैतेई ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी। फिर हमने सुना कि वह ड्राइवर अपने मैतेई साथियों को लेकर वापस आया। उन्होंने एक कुकी गांव में आग लगा दी। उसके बाद कुकियों ने भी मैतेइयों के गांवों को जलाना शुरू कर दिया। लेकिन हमें इंफाल में कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है!'' मणिपुर की सबसे प्रभावी स्त्री-राजनेता मानी जाने वाली पूर्व सांसद को जब मणिपुर में रहते हुए पर्याप्त सूचना नहीं मिल रही थी और उन्हें सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा करना पड़ रहा था, तो गुवाहाटी व दिल्ली में बैठे मीडियाकर्मियों को कितनी कम और कितनी गलत सूचनाएं मिल रही होंगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

इंटरनेट पर प्रतिबंध के बीच कुकियों के बीच मैतेइयों द्वारा किए गए जघन्य अत्याचारों की झूठी-सच्ची मुहांमुंही कहानियां प्रसारित हुईं, तो मैतेइयों के बीच कुकी समुदाय द्वारा किए गए अत्याचारों की।

तीन मई को ही अफवाह फैली कि कुकी युवकों ने किसी गांव में मैतेई लड़कियों के साथ बलात्कार किया है। इस अफवाह को आधार बना कर मैतेई युवकों ने चार मई को कांगपोकपी जिले के कुकी बहुल गांव बी. फाइनोम पर हमला किया। इसी हमले में उन्होंने तीन कुकी महिलाओं को उठाया। बाद में उन्हें निर्वस्त्र कर परेड करवाते, उनके नग्न जननांगों को

नोंचते-खसोंटते, इस आग में पागल बना दिए गए हथियारबंद नर-पशुओं का वीडियो दुनिया ने देखा।

जैसा कि पहले कहा गया, यह घटना चार मई को हुई थी; लेकिन इसका 26 सेकेंड का वीडियो ढाई महीने बाद मध्य जुलाई में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 19 जुलाई 2023 को इस वीडियो से संबंधित समाचार विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रसारित हुए। इससे पहले लोग स्थितियों की भयावहता को अनुभव नहीं कर पा रहे थे।

हालांकि उससे पहले भी मीडिया में गृह-युद्ध की खबरें आ रही थीं। लेकिन मीडिया में उतनी ही बातें आ रही थीं, जितना सरकार और सुरक्षा बल उन्हें बता रहे थे। इस संदर्भ में एक और विडंबना पर ध्यान जाता है। किसी भी राष्ट्रीय स्तर के मीडिया संस्थान का ब्यूरो कार्यालय मणिपुर में नहीं है। मीडिया के लोग मणिपुर को गुवाहाटी में बैठकर देखते हैं, जो कि वहां से 500 किलोमीटर दूर है। यह दूरी इतनी ज्यादा तो है कि उन्हें अधिकांश तस्वीरें न दिखें, या जो दिखें, वो भी धुधंली ही दिखें।

लेकिन इसके बावजूद मीडिया में संघर्ष की खबरें तो आ रही थीं। केंद्र सरकार और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों की सिविल सोसायटी वहां जारी संघर्ष से परिचित थी। विदेशी दूतावासों की भी इन घटनाक्रमों पर नजर थी। लेकिन उपरोक्त वीडियो के वायरल होने से पहले तक कुछ उथली बयानबाजियों के अतिरिक्त वहां के हालात ठीक करने की जल्दबाजी किसी को नहीं थी। राजनीतिक तौर पर इस घटना को कितना हल्के में लिया जा रहा था, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन घटनाओं पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं थे।

वीडियो वायरल होने के अगले ही दिन अर्थात् 20 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने घटना का संज्ञान लेते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में कार्रवाई करे, अगर सरकार नहीं करती है, तो हम कार्रवाई करेंगे। दुनिया की अनेक मानवाधिकार संस्थाओं ने भी इस वीडियो के वायरल होने के बाद मणिपुर पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मणिपुर के मामले पर पहली बार अपना मुंह खोला। वे न उससे पहले इस पर कुछ बोले थे, न ही उसके बाद। हालांकि जैसा कि एक कॉमेडियन ने कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जो बोले, उसे सुनकर लगा कि नहीं ही बोलते तो अच्छा होता!

मणिपुर के मुद्दे पर भारत की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा ने कुकी और मैतेई, दोनों समूहों के गुस्से को कम किया तथा एक-दूसरे के प्रति नफरत को भी किंचित विरेचित किया। वीडियो के चर्चा में आने के बाद मानवाधिकार के लिए काम करने वाले अनेक संगठनों ने मणिपुर का दौरा किया, जिससे सरकारी मशीनरी में एक प्रकार का संकोच पैदा हुआ है। उसे महसूस हुआ है दुनिया भर की तीखी नजरें उस पर हैं। उसके बाद हिंसा में कमी आई।

अब जरा यह सोचें कि इंटरनेट पर प्रतिबंध ने हिंसा को बढ़ाया था या कम किया था?

अगर वह वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या होता? क्या तब भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका उस तरह से सक्रिय होती? क्या एक वैश्विक दबाव भारत सरकार पर बनता? क्या मणिपुर को केंद्र में रखकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव आता?

निर्वस्त्र परेड वाली घटना बलात्कार और हिंसा की एकमात्र घटना नहीं थी। उपरोक्त वीडियो को देखने के बाद कोई भी समझ सकता है कि जब हिंसा शुरू होने के दूसरे दिन ही ऐसी घटना हुई, तो उसके बाद क्रिया-प्रतिक्रिया का जो दौर चला, उसमें क्या-क्या हुआ होगा! हिंसा में लगभग दो सौ लोग मारे गए। कुकियों और मैतेइयों के संगठनों ने मुझे मारे गए लोगों में से 'अपने-अपने लोगों' के आंकड़े भेजे थे, उनमें बलात्कार, घर और पूजा स्थल जलाने के भी आंकड़े थे। उनके अनुसार, एक दर्जन से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। हत्या के मामलों में कम से कम तीन घटनाएं ऐसी हैं, जिसमें हत्याएं सर को धड़ से अलग करके बेहद खौफनाक ढंग से की गई हैं। एक मामले में कुकी युवक कटे हुए सर को एक मकान की चारदिवारी पर टांग कर सरेआम प्रदर्शन किया गया है। इनमें एक घटना में कुकी महिला का सिर धड़ से अलग किया गया है।

ध्यान दें यह सब कुछ इंटरनेट के पूरी तरह ठप रहने के बावजूद हुआ। इससे यह तो स्पष्ट होता ही है कि इंटरनेट बंद करने से घटनाएं नहीं रुकीं, हां इससे सरकार और नागरिक-समाज को शुतुरमुर्ग-भंगिमा को बनाए रखने की सुविधा जरूर हासिल हो गई।

यह भी साफ है कि एक वीडियो सोशल-मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आने पर स्थितियों पर असर पड़ा।

अगर इंटरनेट ठप नहीं किया गया होता तो संभवतः वह वीडियो और अन्य रक्तरंजित वीडियो, जो जुलाई के अंतिम सप्ताह में सामने आए, उसी समय सामने आ चुके होते।

इस बात की पूरी संभावना है कि अगर इंटरनेट ठप नहीं होता तो विभिन्न हमलों के दौरान पीड़ित पक्ष की कोई कहीं छिप कर लाइव स्ट्रीमिंग करता। यह भी संभव

है कि आततायी ही अपने कुकर्मों की लाइव स्ट्रीमिंग भी करते। अगर ऐसा होता तो जो दबाव 9 जुलाई के बाद बना वह शुरू में ही बन गया होता और जघन्य खूनी संघर्ष को खत्म करने की कोशिशें पहले ही शुरू हो गईं होतीं।

इंटरनेट बंद होने के कारण न सिर्फ अफवाहें तेजी से फैलीं, बल्कि उन अफवाहों का खंडन भी नहीं हो सका। इससे स्थितियां और नृशंस होती गईं। अगर सूचनाओं का प्रवाह मुक्त होता तो दोनों पक्ष के लोग एक-दूसरे की बातों का खंडन कर सकते थे। इससे एक प्रकार के भ्रम की स्थिति बनती, लेकिन संतुलन भी कायम होता।

आज इंटरनेट आधारित सोशल-मीडिया ही पब्लिक-स्फीयर है। लोगों को सार्वजनिक तौर पर बोलने से रोका जाना, उनकी जुबान पर ताला लगाया जाना समस्या का हल नहीं है। इंटरनेट के समुद्र में हमारे विविधवर्णी समाज का ही प्रतिबंब है। ध्यान से देखें तो वह वैसे ही काम करता है, जैसे कि समाज। हमारी विशेषताएं और बुराइयां उसमें मौजूद हैं। मसलन, सोशल मीडिया हमें एक प्रकार के घेटो में रहने के लिए मजबूर करता है और एक प्रकार के इको-चैंबर में रहने का मजा देता है। क्या वास्तविक समाज में भी हम जाने-अनजाने यही नहीं पसंद करते हैं? अगर हम देखते हैं कि इंटरनेट के सहारे भ्रामक सूचनाएं फैल रही हैं तो याद करना चाहिए कि भ्रामक सूचनाएं, अफवाहें मानव-समाज में निर्मित हो रही हैं। प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि के जन्म के सैकड़ों-हजारों साल पहले से जातीय युद्ध, राज्य सत्ता के विरुद्ध हिंसक विद्रोह, मांगों के लिए विरोध-प्रदर्शन आदि हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। इन मामलों के लिए तकनीक को दोष देना मानव-समाज की संरचना में निहित ताकत और कमजोरियों; दोनों से आंख चुराना है।

अगर इंटरनेट किसी अफवाह की गति को तेज कर देता है तो उसे काटने की गति को भी तेज करता है। इंटरनेट पर प्रतिबंध इस संतुलन को भंग कर देता है। दुनिया की गति सिर्फ इंटरनेट ने ही तेज नहीं की है; बल्कि रेडियो, टीवी, फोन, आधुनिक वाहन- आदि अनेक चीजों की इसमें भूमिका है। इंटरनेट ठप करने से विभिन्न गतियों का वह संतुलन भंग हो जाता है, जो चीजों को ठर्रे पर बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है।

कोलाहलपूर्ण, भयावह दृश्यों से गुजरते हुए इन छोटी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता।

संयुक्त राष्ट्र की नजर में इंटरनेट की आजादी

आज यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी कौम को 'इंटरनेट के उपयोग की आजादी' कितनी है और सोशल मीडिया पर सूचनाओं तथा 'विभिन्न मंतव्यों के स्वतंत्र प्रवाह की आजादी' की स्थिति कैसी है।

संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में 'इंटरनेट की उपलब्धता के अधिकार' को मानवाधिकार घोषित किया था, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को इंटरनेट से वंचित करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।

संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों से आग्रह किया है कि वे अपने नागरिकों के बीच डिजिटल डिवाइड (इंटरनेट की उपलब्धता में आर्थिक अथवा अन्य कारणों से अंतर) को खत्म करें और नेट-न्यूट्रलिटी (इंटरेनट सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवाओं में एकाधिकार के प्रयासों को रोकना) को सुनिश्चित करें।

संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेट-बंदी (इंटरनेट-शटडाउन) की कड़ी निंदा करते हुए सभी देशों से इस कृत्य से बाज आने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, उसने एन्क्रिप्शन को भी सभी नागरिकों का अधिकार माना है। एन्क्रिप्शन का अर्थ है संदेशों के आदान-प्रदान के लिए एक ऐसी तकनीकी कूटभाषा का प्रयोग, जिसे कोई अन्य न पढ़ सके। यह अपने संदेशों को पूरी तरह गुप्त रखने का अधिकार है, जो कि हर व्यक्ति को उसी तरह हासिल होना चाहिए, जैसे उसे अपने जननांगों को ढंकने का अधिकार है। हमने भारत में व्हाट्सऐप वाले मामले में देखा है कि किस चालाकी से सरकार ने फेक न्यूज के प्रसार की संभावना का बहाना बना कर इस अधिकार को अपने नागरिकों को देने से साफ इनकार कर दिया।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी 'इंटरनेट की उपलब्धता के अधिकार' को मौलिक अधिकार घोषित कर चुका है। कोर्ट ने यह फैसला अनुच्छेद-370 को रद्द करने के मद्देनजर कश्मीर में लगे इंटरनेट-बैन से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए जनवरी, 2020 में दिया था। भारतीय संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि वह अपने उपरोक्त आदेश में 'इंटरनेट की उपलब्धता के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यायित कर प्रौद्योगिकी के नवाचार के साथ संविधान की भावनाओं का तालमेल बिठा रहा है। न्यायालय ने कहा कि सरकारें संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित कुछ शर्तों को छोड़कर नागरिकों को इस मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है।

इंटरनेट की आंशिक बहाली

83 दिन के पूर्ण इंटरनेट शटडाउन के बाद मणिपुर में 26 जुलाई से 'सीमित इंटरनेट' शटडाउन है। इसके तहत सिर्फ 'ब्रॉड बैंड'

की सेवाएं शुरू की गई हैं। 'मोबाइल-इंटरनेट' पर प्रतिबंध इन पंक्तियों के लिखे जाने तक जारी है।

इंटरनेट प्रतिबंध के खिलाफ मणिपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई थी। हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को उस पर सुनवाई करते हुए राज्य में कम से कम 'आंशिक तौर पर' इंटरनेट बहाल करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट दिए जाने की बात कही है।

सरकार के तत्संबंधी आदेश के अनुसार, ब्रॉडबैंड कनेक्शन सिर्फ स्टेटिक आईपी पर ही चलाया जा सकता है। राउटर या सिस्टम से वाई-फाई हॉटस्पॉट की अनुमति नहीं है। व्हाट्सऐप जैसी संदेशवाहक सेवाओं समेत सोशल मीडिया की साइट्स पहले की ही तरह ब्लॉक हैं। आदेश के अनुसार, जिन लोगों के पास ब्रॉड बैंड है, सरकार के अधिकारी उनकी निगरानी कर रहे हैं।

भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं में 3. 8 प्रतिशत ब्रॉड बैंड इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अन्य लोग सिर्फ 'मोबाइल-इंटरनेट' का इस्तेमाल करते हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाके वाले मणिपुर में 'ब्रॉड बैंड' इस्तेमाल करने वाले कितने लोग होंगे, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। मणिपुर में कुछ शहरों को छोड़कर ब्रॉडबैंड की पहुंच अभी भी नहीं है।

स्पष्ट है कि जब तक मोबाइल-इंटरनेट शुरू नहीं होता, तब तक इसे इंटरनेट का शुरू होना नहीं कहा जा सकता। चरणबद्ध बहाली और आंशिक बहाली महज एक जुमला है।

इंटरनेट पर प्रतिबंध के कारण राज्य भर में ऑनलाइन बैंकिंग, बिलों का भुगतान और सभी प्रकार के डिजिटल वित्तीय लेन-देन बुरी तरह प्रभावित हैं। इंफाल जैसे शहर में रहने वाले अनेक लोग, जो पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर थे; अपनी नौकरी खो चुके हैं।

इंटरनेट पर झूठ-सच

समाज में किसी मुद्दे को लेकर विशेष हलचल होने की स्थिति में सरकार द्वारा इंटरनेट-बंदी कर देने से ऑनलाइन एक्टविज्म खत्म हो जाता है, जो विरेचन (कम करना) का एक सहज माध्यम है। सूचनाओं का प्रवाह रुकने से जिन चीजों के शांतिपूर्ण या महज तनावपूर्ण रहने की उम्मीद थी, उनके हिंसक होने की संभावना बढ़ जाती है। इस विषय पर अनेक शोध भी हुए हैं कि क्या इंटरनेट ठप करने से संभावित हिंसा रुकती है या संभावित प्रदर्शन नहीं होते हैं? इन शोधों में बार-बार पाया गया है कि इससे हिंसा, विरोध प्रदर्शन आदि रुकने का कोई प्रमाण नहीं है।

ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंटरनेट चालू रखने से अफवाहें नहीं फैलेंगी। झूठी और भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले तो सक्रिय रहेंगे ही, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा तब उनका काम इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सूचनाओं की दुनिया सार्वजनिक होगी और उसमें स्वमेव एक संतुलन निर्मित होगा।

एक बानगी देखें। एक मैतेई मित्र ने मुझे एक वीडियो फारवर्ड किया है, जिसमें वर्दी में दिख रहे कुछ उग्रवादी एक पतली-सी निरीह लड़की को बीच सड़क पर गोली मारते हैं। गोली मारने से पहले कुछ पुरुष और एक स्त्री उसे बुरी तरह पीटते हैं। वीडियो रीढ़ सिहरा देने वाला है। उसके साथ एक लंबा कैप्शन हिंदी में है, जिसे ज्यों का त्यों (सिर्फ वर्तनी ठीक कर) नीचे दे रहा हूं :

''मणिपुर में हिंदू मैतेई (हिंदू) की छोटी-सी बालिका की ISIS स्टाइल में हत्या। हत्यारों में कुकी (ईसाई) महिलाएं भी शामिल हैं। यह वीडियो इतना वायरल करो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचूड़ तक पहुंच जाना चाहिए, तब देखते हैं कि उन्हें कितना गुस्सा आता है। सभी राज्यों में इसी तरह की परिस्थितियां बनने वाली हैं।

तथाकथित सेकुलर मूर्ख स्वार्थी हिंदुओ! अब भी सोच-समझकर वोट करो और शत-प्रतिशत वोट देने निकलो, मंदिर-मठ में साप्ताहिक गोष्ठी, हनुमान चालीसा करें, सेकुलर विरोधी सनातन धर्मी कट्टर हिंदू नेताओं को आगे बढ़ाओ, पूरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य के निर्देशों का अनुसरण करो, सर्वहित के साथ भारत हिंदू राष्ट्र हो, हम भारत को भव्य बनाएंगे। हर हिंदू सेनानी हो।''

मैंने उस वीडियो को मणिपुर की अपनी तीनों मित्रों को भेजकर पूछा था कि इस वीडियो में जो भाषा ये लोग बोल रहे हैं, क्या वह मणिपुर की भाषा है? एक मित्र का जवाब आया कि वे जो भाषा बोल रहे हैं, वह मणिपुर में बोली जाने वाली मैतेई, थाडो, तांगखुल, पाओला, कुकी आदि में से भी कोई नहीं है। दो मित्रों ने बताया कि वे इस भाषा को थोड़ा-थोड़ा समझती हैं; यह बर्मीज है, म्यामांर की भाषा। इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि यह घटना मणिपुर की नहीं, बल्कि म्यामांर की हो सकती है। बाद में फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट द क्विंट ने खबर दी है कि वह वीडियो म्यांमार में दिसंबर, 2022 में शूट किया गया था। वीडियो में म्यांमार के पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) सदस्य जासूसी के संदेह में एक महिला की हत्या कर रहे हैं।

लेकिन रोचक यह है कि द क्विंट को जो वीडियो मिला है, उसका कैप्शन बिलकुल अलग कहानी कह रहा था। जबकि मूल वीडियो वही है। द क्विंट को मिले वीडियो

के साथ कैप्शन में अंग्रेजी में निम्नांकित बातें लिखी हैः

''यह वीडियो न अफगानिस्तान का है; न ही यह ईरान का है। यह अपना मणिपुर है, जो पिछले 46 दिनों से जल रहा है। इसमें आप मैतेइयों को एक कुकी युवती को तड़पाते हुए और अंत में गोली मारकर उसकी हत्या करते हुए देख सकते हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अगर आप मणिपुर जैसे छोटे राज्यों में स्थितियों को काबू में नहीं रख सकते, तो कृपया इस्तीफा दे दें।''

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक संदेश में हत्यारों को मैतेई बताया गया है और मारी जाने वाली लड़की को कुकी, जबकि दूसरे संदेश में लड़की मैतेई और हत्यारों को कुकी।

जाहिर है इस वीडियो का उपयोग अलग-अलग संगठन अलग-अलग प्रकार से उन्माद फैलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनका यह मकसद सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उनके द्वारा प्रसारित की गई गलत सूचनाएं एक-दूसरे से टकराएंगी और दोनों में से कोई भी, हितधारक कौम में भी, विश्वसनीय नहीं हो पाएंगी। अफवाहों को फैलने के लिए अंधेरे का होना आवश्यक होता है। इंटरनेट के चालू रहने पर अफवाहें सार्वजनिक निगरानी में आ जाती हैं, और वे इतना प्रकाश बर्दाश्त नहीं कर सकतीं। प्रायः कोने में दुबकने की कोशिश करती हुई अंततः मर जाती हैं। इंटरनेट के चालू रहने पर अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं, दुष्प्रचार आदि की जांच करना, उन्हें खंडित करना संभव हो पाता है।

वस्तुतः इंटरनेट पर प्रतिबंध मोदी सरकार का किसी समस्या से पलायन करने और जनता पर अपनी तानाशाही थोपने का सबसे पसंदीदा तरीका रहा है जबकि यह बार-बार साबित होता रहा है कि इंटरनेट ठप करने से न अफवाहें रुकती हैं और न ही हिंसा।

मणिपुर के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने जुलाई में एक-एक ट्वीट करके बताया कि उनकी अध्यक्षता वाली समिति ने 2022 में पाया था कि इस बात का कोई सबूत नहीं हैं कि इंटरनेट बंद करने से स्थितियों को सुधारने में कोई मदद मिलती है, हिंसा और आतंकवाद रुकना तो बहुत दूर की बात है।

दरअसल, समाज में किसी मुद्दे को लेकर विशेष हलचल होने की स्थिति में सरकार द्वारा इंटरनेट-बंदी लागू कर देने से ऑनलाइन एक्टविज्म खत्म हो जाता है, जो विरेचन का एक सहज माध्यम है। सूचनाओं का प्रवाह रुकने से जिन चीजों के शांतिपूर्ण या महज तनावपूर्ण रहने की उम्मीद थी, उनके हिंसक होने की संभावना बढ़ जाती है।

इस विषय पर अनेक शोध भी हुए हैं कि क्या इंटरनेट ठप करने से संभावित हिंसा रुकती है या संभावित प्रदर्शन नहीं होते हैं? इन शोधों में बार-बार पाया गया है कि इससे हिंसा, विरोध प्रदर्शन आदि रुकने का कोई प्रमाण नहीं है।

भारत दुनिया भर में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाला देश है। हमें यह खिताब 2018 में मिला था और पिछले पांच वर्षों से हम हर सप्ताह इसमें नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारे देश में महीनों-महीनों तक इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रखना आम बात है। दुनिया का अब तक सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन भी भारत के ही नाम दर्ज है। यह कश्मीर में अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद 552 दिनों (4 अगस्त, 2019 से 6 फरवरी, 2021) तक रहा था।

नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद से इंटरनेट पर प्रतिबंध में बहुत वृद्धि हुई है। यह अनायास नहीं कि इंटरनेट की आजादी पर नजर रखने वाली संस्थाओं की नजर में हमारी इज्जत लगातार कम होती गई है। इंटरनेट की आजादी पर नजर रखने वाली संस्था फ्रीडम हाउस का अध्ययन बताता है कि भारत में विशेषतौर पर 2017 से डिजिटल जीवन पर प्रतिबंधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यह इंटरनेट शटडाउन तक ही सीमित नहीं, बल्कि सोशल मीडिया से पोस्टों को हटवाने, नेटिजन के निजता के अधिकार को स्वीकार न करने के रूप में भी है।

फ्रीडम हाउस ने 2022 की अपनी रैंकिंग में भारत को 100 में से 51 अंक दिए हैं, और इसे 'आंशिक रूप से आजाद' श्रेणी में रखा है; जो शर्मनाक है। इस रैंकिंग में नाइजीरिया, घाना, जांबिया आदि देशों के नाम भी भारत से पहले हैं। हां, हम इसके लिए खुशी मना सकते हैं कि इस सूची में हमारी रैंक अपने पड़ोसिया : चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और म्यांमार से ऊपर है!

जिस समय इस लेख को लिख रहा हूं, उसी समय तकनीकी विषयों पर केंद्रित प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रिका वायर्ड यूके की वेबसाइट पर मणिपुर पर केंद्रित एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसका उन्होंने बहुत मौजूं शीर्षक दिया है- एन इंटरनेट शटडाउन मीन्स मणिपुर इज बर्निंग इन द डार्क (इंटरनेट ठप होने का मतलब है कि मणिपुर अंधेरे में जल रहा है')। ■

लेखक व शिक्षाविद् **प्रमोद रंजन की दिलचस्पी सबाल्टर्न अध्ययन और तकनीक के समाजशास्त्र में है। संप्रति, पूर्वोत्तर भारत की एक यूनिवर्सिटी में शिक्षणकार्य व स्वतंत्र लेखन करते हैं।*